Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ नागौर में पुलिस थाना कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी नागौर इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए **चेनाराम, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर** को परिवादी से **10,000/— रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी नागौर को आज दिनांक 23.09.2026 को एक शिकायत प्राप्त हुई कि आरोपी चेनाराम, सहायक उप निरीक्षक द्वारा परिवादी से उसके भाई के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 115/2026 में पी.सी. रिमाण्ड की अवधि नहीं बढ़ाने तथा मुकदमे में मदद करने की एवज में 40,000/— रुपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है।

शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी चेनाराम द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा 5,000/— रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा 15,000/— रुपये की मांग कर 10,000/— रुपये रिश्वत राशि लेना तय करना पाया गया। साथ ही, रिश्वत राशि के लेन—देन के दौरान 10,000/— रुपये रिश्वत राशि चाय की थड़ी के काउण्टर पर रखवाकर प्राप्त करना तय किया गया।

जिस पर एसीबी रेंज अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री नारायण टोगस** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी नागौर की **श्रीमती कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक** के नेतृत्व में **श्री रमेश चन्द्र माचरा, उप अधीक्षक पुलिस** मय ट्रैप दल द्वारा आज ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी चेनाराम को परिवादी से 10,000/— रुपये भारतीय चलन मुद्रा रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमला** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

—किसी व्यक्ति के विरुद्ध ए.सी.बी. में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, परिवाद आदि) दर्ज होने पर संबंधित व्यक्ति ए.सी.बी. से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण का ए.सी.बी. द्वारा विस्तृत विश्लेषण एवं परीक्षण किए जाने के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ए.सी.बी. की कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

यह जानकारी ए.सी.बी. के नाम/डर का दुरुपयोग कर होने वाली धोखाधड़ी आदि का शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाईन नम्बर 94135—02834 पर 24X7** सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।